

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल — 462004

आदेश

भोपाल, दिनांक 🛭 /७ /2016

क्रमांक 2 /आर-371/2016/पी-2/31, सिविल सेवा प्रक्रिया संहिता (1.90) का अधिनियम क्रमांक 05 के आदेश 27 के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, सिवनी, म.प्र. को पक्षकार का नाम रिट पिटीशन क्रमांक 22175/2015 द्वारा श्री मुकेश श्रीवास विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य में तथा उसकी ओर से प्रभारी के रूप में अवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये कार्य करने, आवेदन करने और उप संजात के लिये नियुक्त है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग को नियमावली में वर्णित कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीतियों में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये है, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

(1) प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जॉच करेगा जैसा की आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए और ऐसे अभिलेख जानकारी देते हुये जिससे कि मामले के संचालन में अधिवक्ता/शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण में विधि विभाग को रिपोर्ट में विनिर्विष्ट की जायेगा।

(2) समस्त सुसंगत फाइल का दस्तावेजनियम, अधिसूचनायें तथा आदेश एकत्रित करेगा।

(3) वादपत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिससे कि शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता/अभिभाषक से संपर्क करेगा।

(5) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :--

(क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट

(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप

(ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना और जिनकी रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।

(6) मामले के निराकरण के लिये आवश्यक कागजातों पत्रों को प्रक्रिया जिसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होना चाहिये।

- (7) मामले की तैयारी एवं संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता को सहायोग करने की तैयारी एवं अन्य मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नित्य किये गये कर्त्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- (8) जब भी कोई आदेश/निर्देश विनिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरूद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना और उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।

(9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजेगा।

(10) प्रभारी अधिकारी लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्य होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाय और रिपोर्ट के साथ भेजी जाय।

2

प्रभारी अधिकारी लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उस मामलों में जहाँ किसी द्वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश निरीक्षित अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाय विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करेगा।

न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम रूप से आदेश पारित किये जाने पर प्रभारी अधिकारी का (12)कर्त्तव्य होगा कि तत्काल आदेश का अध्ययन कर उन बिन्दुओं को अलग से छांटे जिस पर कार्यवाही की जाकर पालन प्रतिवेदन विनिर्दिष्ट दिनांक तक न्यायालय को किया जाना है। तत्पश्चात प्रभारी अधिकारी लिखित में शासन को अथवा उस समक्ष अधिकारी का जहाँ से आवश्यक कार्यवाही की जाना है ध्यान आकर्षित करायेगा एवं निश्चित समयावधि में न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेगा।

जिन प्रकरणों में मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया जाता है, उन सभी प्रकरणों में मुख्य सचिव का (13)

उल्लेख विलोपित करते हुये प्रकरण में रिटर्न प्रस्तुतीकरण किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(आर.पी.एस. जदिन) उप सचिव मध्यप्रदेश शासन

जल संसाधन विभाग्

भोपाल, दिनांक ⁰⁸/03/2016

पु.क्रमांक ^२ /आर-371/2016/पी-2/31, प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

(1) प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल।

(2) अतिरिक्त महाधिवक्ता / मान. उच्च न्यायालय जबलपुर, म.प्र.।

(3) प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।

(4) मुख्य अभियंता, बैन गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, सिवनी, म.प्र.।

(5) अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, सिवनी (प्रभारी अधिकारी) की ओर अग्रेषित। कृपया प्रकरण से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने हेत् स्वयं (अथवा आपके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को) तत्काल अवर सचिव, जल संसाधन विभाग से संपर्क स्थापित करें एवं शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से कार्यवाही करने के लिये एवं मामले पर अपनी प्रगति रिपोर्ट इस विभाग को भेजने हेतु अग्रेषित। विभाग के साथ-साथ विधि एवं विधायी कार्य विभाग को भी प्रगति रिपोर्ट सदैव भेजें। याचिका एवं वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को अनिवार्यतः भिजवायें। प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत करने एवं स्थगन आदेश रिक्त कराने आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित

(6) संचालक, डाटा सेंटर, जल संसाधन विभाग, भोपाल। कृपया बेबसाईट पर आज ही प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

(7) अवर सचिव, शाखा पी-1 जल संसाधन विभाग, मंत्रालय।

(8) आदेश फाइल।

मध्यप्रदेश शासन

जल संसाधन विभाग

IN THE HIGH COURT OF MER. PRINCIPAL SEAT AT

Writ Petros NO 12 17 of 2015

Petitiener

Muhab Bhrivas

Y/3

Respondents

Street of M.P. & Others.

LNDEX

No.	Description of documents	Annexure No. (if any)	Page Nos.
1	Index & Chronological of event		
2.	Writ petition with affidavit	t' engineration w	3 10
3	List of documents		1000 Day 2
	Order of respondent No.1 dr 6/2/2015 disposing the allegation against res No.6	2.11位第四年	12-13
5.2	Information supplied to perinoner unkler RTI Act de 7/8/15	是一种企業的機能可能	14
6.	Written complaint of peritioner against res.No.6 dt. 20/7/15	建设在经济的	15-14
明国欧	Another complaint dt. 20/16/15 to	P/4	20
8	Vakalatnama		21

Jabalpur Date

(Gopal Singh)
Counsel for the petitioner





551253

/2016

अपने पद

करण प्रथम

ाल संसाधन



fl. चौबे) अभियंता /0**3**/2016

वनाष्ट्री प्रेषित।

जी. चौबे) । अभियंता

AT USIAL OF SET OF STATE OF ST

Writ Petition New 2 120 of 2014

Petitioner

VA

Respondents

CIRCUMINATION OF THE PARTY OF T

SLN	o. Date	The state of the s
1.	6/2/15	Order of respondent No.1 46 (Alexander
2.	7/8/15	disposing the allegation against res.No.6
3.	20/7/15	Act de 7/8/15 Written Complete
•	20/10/15	res No.6 dt 207713
100 P		Mandle Wanter Collector

Jabalpur Date

(Gerel Singh)
Course for the petitioner